

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जून 2015—ज्येष्ठ 16, शक 1937

कार्यालय, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 5 जून 2015

क्र. 3-खाद्य-2-40-2015-3391.—उत्तर प्रदेश से मैगी नूडल्स के लिये गये नमूनों की कोलकाता स्थित केन्द्रीय लेब से जांच किये जाने पर लेड धातु की मात्रा 17.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पाई गई, जो कि निर्धारित सीमा 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से कहीं अधिक है. साथ ही इन नमूनों में मोनो सोडियम ग्लूटामेट की भी उपस्थिति पायी गई है.

उक्त के परिप्रेक्ष्य में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 मई 2015 को सभी राज्यों में मैगी नूडल्स के नमूनों की जांच कराने के निर्देश दिये गये. इसके अनुसरण में दिनांक 27 मई 2015 को भोपाल जिले से 03 तथा इन्दौर जिले से 03 नमूने लिये जाकर प्रदेश के लिये अधिकृत प्रयोगशाला चौकसी लेबोरेटरीज, इन्दौर को प्रेषित किये गये. चौकसी लेबोरेटरीज, इन्दौर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 5 जून 2015 में इन सभी नमूनों में मोनो सोडियम ग्लूटामेट (MSG) की उपस्थिति पाई गयी है.

अस्तु, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, एतद्वारा, लोक स्वास्थ्य के हित में नेस्ले मैगी नूडल्स के समस्त उत्पादों के वितरण और विक्रय को एक माह की अवधि के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रतिषिद्ध करता हूँ.

पंकज अग्रवाल, आयुक्त.